## विषय-सूची

•	प्रमुख धाराएँ एवं आदेश (Main Sections and Orders)	3–6 7–14
•	<b>अध्याय–1</b> सामान्य (General)	15–17
•	अध्याय-2	18–21
•	अध्याय-3 साधारणतः वादों के विषय में (Simply Regarding Suits)	22–43
•	अध्याय-4 निष्पादन (Execution)	44–54
•	अध्याय–5 आनुषंगिक कार्यवाहियाँ (Incidental Proceedings)	55–57
•	अध्याय-6 विशिष्ट मामलों में वाद (Suits in Particular Cases)	58–61
•	अध्याय-7विशेष कार्यवाहियाँ (Special Proceedings)	62–63
•	अध्याय-8अनुपूरक कार्यवाहियाँ (Supplemental Proceedings)	64–65
•	<b>अध्याय-9</b>	66–70
•	अध्याय-10	71–73
•	अध्याय-11 उपबन्ध (Provisions)	74–76
•	अध्याय–12	77–82
•	अध्याय-13 वाद की विरचना व मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं प्लीडर (Frame of Suit and Recognised Agents and Pleaders)	83–85
•	अध्याय–14	86–88

•	अध्याय-15 पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति का परिणाम (Appearance of Parties and	89–92
	Consequence of Non-appearance)	
•	अध्याय-16 परीक्षा, प्रकटीकरण, स्वीकृतियाँ व दस्तावेज विधि (Examination, Discovery, Admissions and Documents Law)	93–94
•	अध्याय-17 विवाद्यकों का स्थिरीकरण व प्रथम सुनवाई में निपटारा एवं स्थगन (Settlement of Issues and Disposal of Suit at First Hearing and Adjournment)	95–97
•	अध्याय-18 वाद की सुनवाई व साक्षियों की परीक्षा एवं शपथ-पत्र (Hearing of Suit and Examination of Witness and Affidavits)	98–99
•	अध्याय–19 पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला (Death, Marriage and Insolvency of Parties)	100–102
•	अध्याय-20 वादों का प्रत्याहरण, न्यायालय में जमा किया जाना एवं खर्चों के लिए प्रतिभूति (Withdrawal of Suits, To deposit in Court and Security for Costs)	103–104
•	अध्याय-21विभिन्न वादों की प्रक्रियाएँ (Procedure in Different Suits)	105–106
•	अध्याय-22 अवयस्कों व विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद (Suits By or Against Trustees Executors and Administrators)	107–108
•	अध्याय-23 निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद तथा अपीलें (Suits and Appeals by Indigent)	109–112
•	अध्याय-24. निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी व कुर्की एवं अस्थायी व्यादेश व अन्तर्वर्ती आदेश (Arrest and Attachment before Judgement and Temporary Injunctions and Interlocutory Orders)	113–116
•	अध्याय-25 रिसीवरों की नियुक्ति (Appointment of Receivers)	117–118
•	अध्याय-26	119–119